भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3312
12.07.2019 को उत्तर के लिए

हाथियों की गणना

3312. श्रीमती प्रतिमा भौमिक :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथियों की अंतिम समन्वित गणना के अनुसार हाथियों की कुल आबादी कितनी है;
(ख) क्या हाथियों की पिछली गणना की तुलना में उनकी आबादी में कोई वृद्घि अथवा गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस गणना के दौरान सभी सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों में हाथियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या गणना-कार्य के दौरान, हाथी के शिशुओं और उप-वयस्क हाथियों की पर्याप्त दृष्टव्यता/सूचीबद्धता के साथ हाथियों की संख्या अनुरूप पाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी समन्वित गणना करने में कितना व्यय किया गया है;
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों में हाथियों के भटकने के कारण हताहत होने वाले हाथियों की संख्या कितनी है और भटकने के कारण हताहत हाथियों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारतीय हाथियों के प्रजनन में कोई जोखिम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मुद्रदों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वर्ष 2017 में कराए गए गत समकालिक हाथी आकलन के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 29964 है। ये आंकड़े, देश के सर्वाधिक प्रमुख हाथी बहुल राज्यों में 30-50% के नमूने लेकर ''प्रत्यक्ष गणना पद्धति'' द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित हैं। त्रिपुरा, नगालैंण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल के आंकड़े ''अप्रत्यक्ष विष्ठा गणना पद्धति'' पर आधारित हैं।

(ख) वर्ष 2012 में विगत गणना-प्रक्रिया के दौरान संसूचित हाथी गणना के आंकड़े 29391-30711 के बीच थे। वर्ष 2017 में 29964 के वर्तमान आंकड़े, गत पांच वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर संख्या दर्शाते हुए तुलनात्मक रूप से इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

(ग) वर्ष 2017 के दौरान सभी सात पूर्वोत्तर राज्यों में गणना किए गए हाथियों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :

क्षेत्र	राज्य	2017 में हाथियों की संख्या
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	1614
	असम	5719
	मेघालय	1754
	नगालैंड	446
	मिजोरम	7
	मणिपुर	9
	त्रिपुरा	102
पूर्वोत्तर क्षेत्र का कुल योग		9651

(घ) जी, हां। शिशु और उप-व्यस्क हाथियों की प्रतिशतता को देखते हुए हाथियों की संख्या एक बेहतर प्रजनन दर के साथ बढ़ती हुई पायी गई है। अखिल भारतीय समकालिक हाथी संख्या, 2017 का पता लगाने में 300.86 लाख रूपए का व्यय हुआ है।

(ड.) गत पांच वर्षों के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों में हाथियों के भटकने के कारण हताहत होने वाले हाथियों का संसूचित ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। हाथियों के भटकने के कारण हताहत होने की घटनाओं को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत उठाए गए कदम/की गई कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं :

i. मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का निराकरण करने तथा बंधक हाथियों के कल्याण हेतु हाथियों तथा उनके पर्यावास और कॉरीडोर की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. वन्य हाथियों के बेहतर प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को ''हाथी रिजर्वों'' के रूप में अधिसूचित करना।

iii. फसल वाले खेत में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंटीली तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का प्रयोग करके जैव-बाड़, चार दीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधकों को लगाना/तैयार करना।

iv. सभी हाथी बहुल राज्यों को इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को जारी किए गए मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया है।

v. हाथी पर्यावासों को सम्पन्न बनाने के लिए जल स्रोतों के सृजन, फलदार वृक्षों के रोपण, चरागाह विकास, अग्नि से रक्षा आदि जैसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि हाथियों को उनके पर्यावास में रोका जा सके।

vi. राज्य वन विभागों के फ्रंटलाइट स्टाफ द्वारा हाथी क्षेत्रों की नियमित और व्यापक गश्त की जाती है ताकि हाथियों को उनके पर्यावास में रोका जा सके।

vii. मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों के प्रतिशोध स्वरूप मारे जाने को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को वन्य हाथियों द्वारा उनकी सम्पत्ति को पहुंचाए जाने वाले नुकसान और मारे जाने की क्षतिपूर्ति की जाती है।

viii. वन विभाग, हाथियों के आवागमन को जानने तथा मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को सावधान करने तथा हाथियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में रोकने के लिए पशु खोजी के रूप में स्थानीय समुदायों को नियुक्त करता है।

ix. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से रेखीय अवसंरचना को डिजाइन करने में एक ऐसी रीति से परियोजना अभिकरणों को सहायता देने के लिए 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने के लिए पारि-अनुकूल उपाय' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिससे उन क्षेत्रों में मानव-पशु संघर्ष कम होगा जिनमें ये रेखीय अवसंरचनाएं संरक्षित क्षेत्रों और अन्य वन्यजीव क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं।

(च) जी, नहीं। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाथियों के प्रजनन में वर्तमान में कोई जोखिम नहीं है।

अनुबंध

'हाथियों की गणना' के संबंध में दिनांक 12.07.2019 को उत्तर के लिए श्रीमती प्रतिमा भौमिक द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3312 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत पांच वर्ष अर्थात 2014-15 से 2018-2019 के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों में हाथियों के भटकने के कारण हताहत होने वालों की संख्या

राज्य	हाथियों की वर्ष-वार मौत					मानवों की वर्ष-वार मौत				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	1	एनआर	एनआर	0
असम	20	18	27	44	19	54	31	91	72	84
मेघालय	4	1	2	3	1	5	6	5	7	3
नगालैंड	0	4	0	1	4	1	1	1	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0

***एनआर - राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**